कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

विषयः— जनपद—पिथौरागढ़ में गोगिना सल्ला मोटर मार्ग से चिंगरी पन्ना चौड मोटर मार्ग का निर्माण हेतु।
FP/UK/ROAD/17778/2015

महोदय,

भारत सरकार के सन्दर्भित आपत्ति के अनुपालन में आनलाईन उपलब्ध करायी गई सूचना चाही गई सूचना के अनुरूप नही है। आप के द्वारा आनलाईन उपलब्ध करायी गई सूचना Form A के Part I तथा Part II में यथास्थान अपलोड़ नही की गई है। अतः भारत सरकार द्वारा चाहे गये बिन्दुओं की सूचना Part I एंव Part II में यथास्थान अपलोड़ करने के साथ मय बिन्दुवार आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। जिन बिन्दुओं पर भारत सरकार को पूर्ण सूचना भेजी जानी है, उन बिन्दुओं की सूचना निम्नानुसार हैं।

संलग्नः—यथोपरि।

संख्याः 498 /X-4-16/1(151)/2016

प्रेषक,

अखिलेश मिश्रा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, इंदिरा नगर, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 **देहरादूनः दिनांक 23 जून, 2016**

विषयः–जनपद–पिथौरागढ़ में गोगिना सल्ला मोटर मार्ग से चिंगरी पन्ना चौड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.77, हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–3297/1जी–FP/UK/ROAD/17778/2016, दिनांक 06.05.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्ताव की निम्न कमियों का निराकरण कराते हुए संशोधित प्रस्ताव ऑन–लाईन एवं ऑफ–लाईन शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

1. प्रस्ताव के फार्म–ए के भाग–1–बी–2.4 में कम्पोनेंट वाइज ब्रेकप अंतर्गत मक डिस्पोजल कम्पोनेंट व अन्य का विवरण अंकित नही है। उक्त के स्थान पर इसमे भी ग्राम वाईज विवरण अंकित कर दिया है।
2. मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित भूमि के भूमिधरों एवं प्रस्तावित मार्ग से आच्छादित होने वाले खातेदारों/भू स्वामियों/राज्य सरकार की भूमि की प्रकृति व खसरा विवरण नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर अंकित कर खातेदारवार अनुबंध/अनापत्ति पत्र सक्षम अधिकारी/थर्ड पार्टी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर अपलोंड/प्रस्तुत नही किये गये है।
3. ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र पर संबंधित अधिकारी की अपठनीय मुहर व हस्ताक्षर है। जो कदाचित ग्राम सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है। पठनीय मुहर व हस्ताक्षरित कर अपलोंड/उपलब्ध कराये।
4. प्रस्ताव के फार्म–ए के भाग–1(एक्स) में वन भूमि हस्तांतरण 01वर्ष के लिये किये जाने का उल्लेख किया गया है। जिसके कारण प्रस्ताव लीज का प्रतीत होता है, किंतु नोडल अधिकारी की संस्तुति में प्रस्ताव वन भूमि हस्तांतरण का उल्लेख किया गया है। उक्तानुसार प्रस्तुत सूचना परस्पर भिन्नता प्रकट करती है। स्थिति स्पष्ट करें।
5. प्रारूप–3 भाग–2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जायेगा) अथवा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा हुआ, अपलोड नही किया गया है।

भवदीय,
(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव।

संख्याः 498 (1)/ X-4–16/1(154)/2016, तददिनांकित्।

प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, पिथौरागढ़।

आज्ञा से,
(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव।